

Review Article

जिला नीमच के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजनों की चुनौतियों का समाजशास्त्रीय

सपना बैरागी 1*, डॉ. रामेश्वर रैकवार 2

¹ शोधछात्रा, कला एवं मानविकी विद्यापीठ, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान)

sapnabairagi153@gmail.com

² सहायक आचार्य, कला एवं मानविकी विद्यापीठ, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान)

rameshwarcfs@gmail.com

संप्रेषण लेखक: sapnabairagi153@gmail.com

DOI 10.55083/irjeas.2026.v14i02001

©2026 Sapna Bairagi et al.

This is an article under the CC-BY license. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

सारांशिका: समाज की सबसे छोटी इकाई मनुष्य है। उसके समान क्षमताएं अन्य किसी भी प्राणी में नहीं हैं। फिर भी उसका जीवन निरंतर परिवर्तन, संघर्ष एवं निर्णयों की प्रक्रिया से गुजरता हुआ एक जटिल यात्रा-पथ है। उसके किसी भी अंग के क्षतिग्रस्त होने से उससे संबंधित गतिविधियों में समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण मानव में अक्षमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अक्षमता की स्थिति को दिव्यांगता भी कहा जाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो मनुष्य में शारीरिक अथवा मानसिक सीमितता आ जाती है। दिव्यांगता के कारण मनुष्य व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है। दिव्यांगता व्यक्ति की भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों के साथ-साथ उससे उत्पन्न संबंधित गतिविधियों की अवरुद्धता है। इसका आकलन दिव्यांगता वाले व्यक्ति की मनोसामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दिव्यांगता भौगोलिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित होती है। प्रत्येक युग में दिव्यांगजनों के समक्ष सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक चुनौतियाँ विद्यमान रही हैं। परिवार और समाज के सदस्यों द्वारा दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव तथा पूर्वाग्रह का व्यवहार होता रहा है। परंतु वर्तमान समय में ये चुनौतियाँ अधिक जटिल और बहुआयामी रूप में सामने आई हैं। भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियाँ तथा तकनीकी विकास ने जीवन को सुविधाजनक अवश्य बनाया है। किंतु इसके साथ-साथ दिव्यांगजनों के जीवन में मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी, असंतोष और आत्मिक शून्यता की समस्याएँ भी तीव्र हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि दिव्यांगजनों को दिशा देने वाली नवाचार वाली समाजशास्त्रीय योजनाओं तथा नीतियों की रणनीति बनाने पर कार्य किया जाए ताकि उनके जीवन की चुनौतियों को काम किया जा सके। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य जिला नीमच के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजनों की चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है।

संकेत शब्द : जिला नीमच, दिव्यांगजन, चुनौतियाँ, समाजशास्त्र

I. प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही वैश्विक और भारतीय समाज में दिव्यांगता एक चुनौती रही है। लेकिन उस समय दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सामाजिक दृष्टिकोण सहनुभूतिपूर्ण और समावेशी था। मध्यकाल के दौरान भी भारतीय समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की यही स्थिति रही। सत्ताएं बदलती रहीं लेकिन अधिकांश शासकों का मत दिव्यांगता के प्रति समावेशी रहा। कई शासकों ने

विभिन्न व्यक्तियों को उनकी शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी अपने मंत्रिमंडल में उच्च पदों पर आसीन किया। मलिक काफूर और तैमूर लंग ऐसे ही उदाहरण हैं।

आधुनिक तकनीकी युग में सामाजिक चिंतन और दर्शन की व्यापकता ने दिव्यांगता को समाज का अभिन्न अंग मानकर उससे ग्रसित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए काफी मदद की है। सूचना क्रांति और कृत्रिम बुद्धि के विस्तार ने इस कार्य को और अधिक सरल बना दिया है। विभिन्न अनुसंधानों कि अनुकूलता ने भारत ही नहीं अपितु वैश्विक पटल पर यह सिद्ध भी कर दिया है कि दिव्यांगता से व्यक्ति के सम्पूर्ण शरीर का महत्व खत्म नहीं हो जाती। जॉन हॉपकिंस, होमर, मिल्टन, वोल्टर, मार्शल प्राउस्ट, निकोलाई, लुई ब्रेल, थॉमस अल्वा एडीसन, फ्रेंकलीन डिलानो रुजबेल्ट, हेलेन कीलर, सर सिरिल आर्थर पियर्सन आदि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद वैश्विक पटल पर अपने अद्भुत कार्यों के योगदान से बहुत बड़ा परिवर्तन किया है।

भारतीय संदर्भ में भी अनेक दिव्यांगता वाली विभूतियों कि कहानियाँ मिलती हैं जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने बुद्धि कौशल से समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। ऐसी महान विभूतियों में अष्टावक्र की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। आठ जगह से टेढ़े शरीर वाले अष्टावक्र के प्रति राजा दशरथ के मंत्रियों का दृष्टिकोण भी शास्त्रार्थ से पूर्व नकारात्मक था। लेकिन अष्टावक्र ने शारीरिक रूप से विकृत होने के बावजूद भी अपने आत्मिक ज्ञान के बल पर दशरथ के दरबारी विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने पिता कहोड़ की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा पूर्ण की। अष्टावक्र के इस प्रसंग से विदित होता है कि ज्ञान की पहचान रूप-रंग से नहीं, बुद्धि से होती है। शारीरिक अक्षमता व्यक्ति के ज्ञान और बुद्धि की महानता को कम नहीं कर सकती। इसी तरह के अनेकानेक उदाहरण प्राचीन और आधुनिक भारतीय समाज में दृष्टिगोचर होते हैं। प्राचीन पौराणिक समय में भारत में शारीरिक विकृति को पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का परिणाम माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने शारीरिक सीमाओं को तोड़कर ज्ञान, सत्ता, बुद्धि और आत्मबल के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया है। इनमें प्रमुख रूप से दीर्घतमा, त्रिवक्र(कुब्जा), मंथरा, धृतराष्ट्र, राणासांगा, महाराजा रंजीत सिंह, स्वामी बिरजानंद, गुलाबराव महाराज, सूरदास, मलिक मुहम्मद जायसी, भीमाबोई, वेद मेहता, श्रीराम भद्राचार्य, राजेन्द्र यादव, विनोद बिहारी मुखर्जी, सतीश गुजराल, प्रभा शाह, रवीन्द्र जैन, बाबा आमटे, भावेश भाटिया, पीरामूर्ति और अरुणिमा सिन्हा आदि लोगों का नाम लिया जा सकता है (ठाकुर, 2017)।

शोधकर्ता द्वय द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किया गया जिसमें प्रमुख शोध अध्ययन इस प्रकार हैं-

1. **भट्ट, ए. ए. एवं शाह, आर. जेड. (2025)** ने अपने शोध पत्र सोशल इम्पलिकेशन्स ऑफ पीपल विद डिसएबिलिटीज इन इण्डिया-क्रिटिकल रिव्यू ऑन चैलेंजेज एण्ड सोल्यूशन्स में पाया कि- आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियोजन के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों और विशेषज्ञ अनुशंसाओं का अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसमें विकलांग व्यक्तियों को विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर शामिल करने के लिए विशिष्ट कदम शामिल होने चाहिए। संकट की स्थिति न होने पर भी विकलांग व्यक्तियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
2. **पटेल, संगीता (2025)** ने अपने शोधपत्र डिसएबिलिटी एण्ड सोशल एक्सक्लूजन के निष्कर्ष में पाया कि- विकलांगता शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करती है। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जिस समाज में वह रहता है, उस समाज के प्रचलित सांस्कृतिक मानदंडों और दृष्टिकोणों से बहुत प्रभावित होती है। सामाजिक बहिष्कार जाति, वर्ग, धर्म और आयु जैसी पारंपरिक श्रेणियों से भिन्न है। और इसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें अक्सर विशिष्ट प्रकार के बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
3. **सिंघल, निधि (2024)** ने अपने आलेख वर्तमान समाज एवं दिव्यांग बालक की समस्याएं एवं समाधान में लिखा है कि- वास्तव में किसी दिव्यांग की अंगहीनता उसकी क्षमता को विकसित करने में बाधक नहीं होती है। समस्या तब आरंभ होती है जब कोई दिव्यांग अपनी अक्षमता को अपने जीवन के लिए असहायपन की स्थिति का

परिचायक मानने लगता है और उसकी यह धारणा सामाजिक की ओर से परिपुष्ट होने लगती है। अपनी अक्षमता के बारे में परिवार, समाज और संबंधियों की गलत प्रतिक्रियाओं के कारण ही कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

4. **साहू, सारिका (2024)** ने अपने आलेख वर्तमान समाज और दिव्यांग बालकों की मानसिक समस्याएं में लिखा है कि- वर्तमान समाज में दिव्यांग बालकों की मानसिक समस्याओं के कई जटिल कारक हैं। इनमें सामाजिक, भेदभाव, शैक्षिक असमानता, पारिवारिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और आर्थिक समस्याएं शामिल हैं।
5. **अज़ीज़, सुबुही (2024)** ने अपने शोध आलेख प्रॉबलम्स एण्ड चैलेंजेज फेसट बाई डिसएबल्ड यूथ इन इण्डिया: एन इम्पेरिकल स्टडी में पाया कि- समाज में दिव्यांगजनों को उनकी स्थिति के कारण कई पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर सक्षम लोग उनका न्याय करते हैं। उनका उपहास करते हैं और उन पर चुटकुले बनाते हैं। हालांकि दिव्यांगता को समझने में लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देखा गया है कि दिव्यांग महिलाओं को परिवार और समाज दोनों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त लिमये, संध्या (2024), कौर और भाट (2019), आजम (2018), शर्मा, आर. एन. आदि शोधकर्ताओं के शोध अध्ययनों के पुनरवलोकन से शोधार्थी द्वय को ज्ञात हुआ कि- सभी शोधकर्ताओं के अध्ययन के केंद्र में दिव्यांगता और समाज है। परंतु किसी भी शोध में नीमच जिले के दिव्यांगजनों की सामाजिक चुनौतियों को रेखांकित नहीं किया गया है। इसी शोध-अंतराल को पूर्ण करने का प्रयास शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में किया गया है जिसके निहितार्थ शोधार्थी द्वय के मन-मस्तिष्क में प्रश्नों का प्रादुर्भाव हुआ जिनके आधार पर निम्नलिखित शोध उद्देश्यों को संरचित किया गया है –

1. जिला नीमच के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजनों की चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।
2. समाज में दिव्यांगजनों के प्रति होने वाली चुनौतियों के कारणों का अध्ययन करना।

II. शोध प्रविधि

शोधकार्य एक व्यवस्थित, सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति क्रमबद्ध ढंग से वैज्ञानिक विधि के माध्यम से की जाती है, फिर चाहे वे शोध प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित हों अथवा समाज या शिक्षा से संबंध रखते हों। प्राचीनकाल से ही भारत शिक्षा का केंद्र और विश्वगुरु रहा है। वर्तमान समय में तकनीकी विकास ने भारतीय शिक्षा, समाज और संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है, परन्तु दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी भारत में दिव्यांगजनों का सामाजिक जीवन चुनौतियों, भेदभाव और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है।


अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति समाजशास्त्रीय होने के कारण शोधकर्ताओं द्वारा शोध हेतु विवरणात्मक और सर्वे शोध प्रविधियों को आत्मसात किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है जिनके संकलन हेतु दिव्यांगजनों पर लिखे गए ग्रंथों, पुस्तकों, शोधपत्रों, आलेखों, पत्र-पत्रिकाओं और प्रकाशित शोध-प्रबंधों आदि का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन जिला नीमच के दिव्यांगजनों की सामाजिक चुनौतियों तक परिसीमित था जिनकी सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिकता वर्तमान अतुल्य भारत के साथ ही भविष्य के विकसित भारत में भी होगी। संकलित आंकड़ों

के विश्लेषण हेतु विषय-वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है जो कि समाजशास्त्रीय शोध अध्ययनों हेतु सबसे विश्वसनीय विधि मानी जाती है।

III. जिला नीमच की प्रशासनिक एवं सामाजिक संरचना का परिचय

जिला नीमच मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। स्वतंत्रता के पश्चात नीमच मंदसौर जिले का महत्वपूर्ण अंग था। इसका गठन 30 जून 1998 को जिला मंदसौर से पृथक करके किया गया। यह अपनी पुरानी ब्रिटिश सैन्य छावनी और सीआरपीएफ (CRPF) के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है जिसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई। नीमच विशुद्ध रूप से एक सैनिक नाम के रूप में ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आया। नेशनल ज्योग्राफी के वर्ष 1925 के अंक के अनुसार NIMACH का नाम Northern India Military and Cavalry Head Quarter है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले में कुल बसे हुए गांवों की संख्या 804 है। नीमच जिले में छोटे-बड़े कुल 12 नगर हैं जिसमें नीमच नगर पालिका परिषद तथा अठाना, डिकेन, जावद, जीरन, कुकरेश्वर, मनासा, नयागांव, रामपुरा, रतनगढ़, सरवानिया महाराज, सिंगोली प्रमुख नगर परिषद है। नीमच जिले में 03 विकासखंड (नीमच, जावद, मनासा) हैं। इसमें 07 तहसीलें (नीमच ग्रामीण, नीमच शहरी, जीरन, मनासा, रामपुरा, जावद, सिंगोली) हैं। जिला नीमच में 800 राजस्व गाँव और 236 ग्राम पंचायतें हैं। सुखानंद महादेव, भादवा माता मंदिर, रामपुरा आदि इस जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं (नई विद्या, 2023)।

नीमच जिले के प्रमुख धर्म हिन्दू (9.74%) और मुस्लिम (8.91%) हैं। इसकी कुल जनसंख्या 8,26,026 है जिसमें 4,22,653 पुरुष तथा 4,03, 414 महिलायें हैं। इस जिले की साक्षरता दर 71.81% है जिसमें 83.91% पुरुष और 57.13% महिलायें साक्षर है। नीमच जिले में एक निजी विश्वविद्यालय, दो शासकीय महाविद्यालय, छः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 16 माध्यमिक विद्यालय, 42 जूनियर विद्यालय और 196 प्राथमिक विद्यालय सहित केंद्रीय विद्यालय जैसे प्रमुख संस्थान उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जिले में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 954 महिलाएं हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मालवी और हाड़ौती इस जिले की प्रमुख जनसम्पर्क वाली भाषाएं हैं (सिद्दीकी, 2022)।



IV. दिव्यांगता की अवधारणा

दिव्यांगता को अंग्रेजी भाषा में डिसेबिलिटी कहा जाता है जो लैटिन भाषा के मूल शब्द डिसे और हेविलीज के मिलने से उत्पन्न हुआ है। इसमें डिसे का आशय दूर, बिना, और विपरीत होता है, जबकि हेविलीज शब्द से तात्पर्य संभालने में आसान या उपयुक्त या क्षमता या कौशल से है। इस तरह डिसेबिलिटी का शाब्दिक अर्थ है क्षमता का अभाव अथवा कमी। वर्ष 1570 के दशक में इसे शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता की कमी के लिए प्रयोग किया जाता था। बाद में वर्ष 1640 के दशक में इसका अर्थ अक्षमता के लिए प्रचलित हुआ। अंग्रेजी भाषा में इसके समानांतर हैंडीकैप्ड शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके विषय में रोचक तथ्य यह है कि- 20वीं सदी से पूर्व ब्रिटिश समाज में हैंड इन केप नाम का एक लोकप्रिय खेल था। इसमें दो लोग एक असमान मुकाबले पर शर्त लगाते थे। समानता के लिए सशक्त प्रतिद्वंदी अपने हाथ को बराबरी पर रखकर कैप कर देता था। कालांतर में यह खेल हानि अथवा असमानता की भावना से जुड़ गया और इस तरह हैंड इन केप खेल के शब्द मिलकर हैंडीकैप्ड शब्द में रूपांतरित हो गये। हैंडीकैप्ड शब्द उन लोगों के लिये प्रयोग किया जाने लगा जो चुनौतियों अथवा बाधाओं का सामना करते थे (ठाकुर, 2017)।

हिन्दी भाषा में हैंडीकैप्ड शब्द को विकलांगता के रूप में अनुवादित किया गया है। अपाहिज, निःशक्त, अक्षम, अपंग, बाधित आदि शब्द भी इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। 20वीं सदी के आरंभ में यह शब्द विकलांग समुदाय में प्रयोग होने लगा। उस समय के समाज में यह मान्यता थी कि विकलांगता स्वतः ही क्षमताओं में कमी का कारण बनती है। उस समय के ब्रिटिश समाज में विकलांग लोगों को कलंकित किया जाता था और उन्हें समाज से पृथक कर बहिष्कृत जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता था। बीसवीं सदी के मध्य तक समाज सुधारकों ने विकलांगता से संबंधित प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देना आरंभ कर दिया था। परिणामस्वरूप जैसे-जैसे नवीन विचारों ने गति पकड़ी और जैसे-जैसे विकलांग शब्द का प्रयोग धीरे-धीरे कम होने लगा। क्योंकि यह शब्द नकारात्मक कुरीतियों को प्रोत्साहित करता था और विकलांगता के प्रति पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करता था। विकलांग समुदाय ने इस शब्द को अस्वीकार कर समावेशी समाज के निर्माण की आधारशिला रखी। वर्ष 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में विकलांग लोगों के लिए अधिनियम (ADA1990) पारित हुआ। इन अधिनियम ने भेदभाव के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान की और सार्वजनिक स्थानों में सुविधाओं की सुलभता को अनिवार्य बनाया। यह परिवर्तन आपसी सम्मान, समान अवसरों और विकलांग लोगों के लिए बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही यह परिवर्तन विविधता और समानता को आत्मसात करने की दिशा में एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है (निगम, 2016)।

विकलांगता मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान समय में लगभग 1.3 अरब लोग अर्थात् वैश्विक जनसंख्या का 16% लोग गंभीर विकलांगता से ग्रसित हैं। जनसंख्या की बढ़ती उम्र और गैर-संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रसार के कारण यह संख्या बढ़ रही है। विकलांगता, मस्तिष्क पक्षाघात, डाउन सिंड्रोम और अवसाद जैसी स्वास्थ्य स्थितियों से ग्रस्त व्यक्तियों और नकारात्मक दृष्टिकोण, दुर्गम परिवहन और सार्वजनिक भवनों तथा सीमित सामाजिक समर्थन सहित व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है (WHO, 2022)। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन एवं हस्ताक्षर से 27 दिसम्बर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD Act 2016) अस्तित्व में आया जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को निरस्त करता है। इस अधिनियम में निःशक्तता की आबधारणा में परिवर्तन करके इसे और अधिक व्यापक तथा समावेशी बनाया गया है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में वर्णित निःशक्त व्यक्तियों की सात श्रेणियों को बढ़ाकर इक्कीस चलन संबंधी निःशक्तता, मांसपेक्षीय दुर्विकार, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, प्रमस्तिष्क घात,

अम्ल हमले की पीड़िता, कम दृष्टि, दृष्टि हीनता, बधिर (सुनने में कठिनाई), श्रवण क्षति, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक रुग्णता, क्रोनिक स्नायुविक स्थिति, बहु-दिव्यांगता, पार्किन्स रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। इस अधिनियम में न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा, सरकारी योजनाओं के लाभ और रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 10% सीटें दिव्यांगजन अधिगम्य बनाना अर्थात् परिवहन की बाधाको दूर करना। इस प्रकार उक्त अधिनियम के द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों को संरक्षित करके समानता और सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा के समान जीवनयापन की सुविधा डी गई है (DEPwD, 2025)।

v. समाज की अवधारणा

प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिडिंग्स के शब्दों में- समाज स्वयं एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का भाग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए अथवा संबंध हैं। जॉर्ज सिमेल के अनुसार- समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अन्तःक्रिया द्वारा संबंधित होते हैं। डेविस ने कहा है कि – जब कुछ व्यक्ति व्यवस्थित रूप से संबंधों कि स्थापना करते हैं, तो वे समाज का निर्माण करते हैं। समाज निर्माण के लिए अग्रलिखित चार तत्वों का होना अति आवश्यक है-

1. जनसंख्या की निरन्तरता
2. जनसंख्या में श्रम-विभाजन
3. सामूहिक एकता
4. सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व

vi. विश्लेषण

शोधार्थी ने संकलित आंकड़ों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार दिव्यांगता लोगों के सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है? शोधार्थी द्वारा विभिन्न सामाजिक इकाईयों का प्रेक्षण किया तो पाया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आज भी दिव्यांगता को पूर्व जन्मों का कर्मफल माना जाता है। कुछ लोग तो दिव्यांगजनों का सुबह के समय मिलना अशुभ मानते हैं और कहते हैं कि अब पूरा दिन बर्बाद हो जायेगा। दिव्यांगजनों के माता-पिता, परिजन और सगे-संबंधी उनकी दिव्यांगता के विषय नकारात्मक विचार रखते हैं। उनके ऊपर कारात्मक टिप्पणी करते हैं जिससे दिव्यांगजनों को मानसिक रूप से बहुत बुरा लगता है और कभी-कभी तो जब यह अधिक हो जाता है तो वे घर को भी त्याग देते हैं एवं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिर या फुटपाथ के किनारे अपना जीवनयापन करने को विवश होते हैं। जिला पंचायत परिसर नीमच में स्थित सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के साथ परिचर्चा करने पर शोधार्थी को ज्ञात हुआ कि यह विभाग दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रितों के लिए पेंशन, शिक्षा और पुनर्वास आदि केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। यह विभाग निःशक्तजनों के लिए सामाजिक स्वावलंबन हेतु स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। नीमच जिले में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास और सहायता के लिए गैर सरकारी संगठन अग्रवाल विकास समिति और भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी स्टेशन रोड नीमच के प्रतिनिधियों के कार्यों का प्रेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि ये संस्थाएं दिव्यांग हितों के लिए प्रमुख रूप से सक्रिय हैं। ये संस्थाएं जिला नीमच में स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित कर जयपुर फुट प्रदान करने और निःशुल्क कृत्रिम अंग, ट्राईसाईकिल,

व्हीलचेयर तथा श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराने में मदद करती हैं। इसी के साथ ये संस्थाएं समाज में दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए जनजागरुकता कार्यक्रमों का भी आयोजन समय-समय पर करती रहती हैं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों का प्रेक्षण करने पर गया हुआ कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिला नीमच में दिव्यांगजनों की कुल संख्या 10163 है जिसमें सभी तरह की दिव्यांगता सम्मिलित है। इसमें पुरुषों की संख्या 6842 और महिलाओं की संख्या 3319 है। पूरे नीमच जिले में 02 दिव्यांग अन्य लिंग वाले भी हैं। अन्य लिंग वालों से तात्पर्य ट्रांसजेंडर अर्थात ऐसे लोग जो पुरुष और महिला से पूर्ण समानता नहीं रखते हैं। दिव्यांगजनों के लिए जितना प्रकृति उत्तरदायी है उससे ज्यादा समाज है। व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका परिवार और प्रथम शिक्षक उसके माता-पिता होते हैं। लेकिन दिव्यांगजनों के प्रति उपेक्षा का भाव सर्व प्रथम उनके परिवार से ही आरंभ होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उससे पशुओं की अपेक्षा अधिक सामाजिकता की उम्मीद की जाती है। लेकिन नीमच जिले में दिव्यांगजनों के साथ ऐसा नहीं होता है। उनके माता-पिता, भाई-बहन, सगे-संबंधी आदि ही उन्हें अपशकुन मानकर उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। यद्यपि जिला नीमच का शहरी क्षेत्र जो कि तकनीक के युग में जीवनयापन कर रहा है फिर भी वहां दिव्यांगजन हाशिये पर हैं। सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास इस दिशा में कुछ परिवर्तन लाते दिख रहे हैं, जैसे; संकल्प से समाधान अभियान के तहत शिविर लगाकर समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जाग्रति लाने का प्रयास एक सुखद भविष्य का संकेत देता है। भारतीय समाज में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। लेकिन जब बात दिव्यांगजनों के हित की आती है अथवा दिव्यांग बच्चों को गोद लेने की आती है तो सामाजिक रूढ़ियां अक्सर निर्णय में बाधा बनती हैं। परिचर्चा में भागीदारी करने वाले विषय विशेषज्ञ इस बात पर एकमत थे कि समाज की संवेदनशीलता से ही दिव्यांग बच्चों का भविष्य बदल सकता है। नीमच जिले में निरक्षरता, बेरोजगारी और कम मजदूरी समाज में दिव्यांगता के प्रति उपेक्षा का कारण बन रही हैं। इससे दिव्यांगजनों को कई भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यवहारिक और ढांचागत बाधाओं का समाना करना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग शब्द देकर समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया गया है।

VII. निष्कर्ष और सुझाव

समग्र रूप से शोध परिणाम यह संकेत करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के जिला नीमच में दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर है। दिव्यांगजनों के प्रति समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें मनोसामाजिक विकार की ओर उन्मुख करता है। वर्तमान समय में उत्पन्न दिव्यांगजनों की बहुआयामी समस्याओं के समाधान हेतु सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा किए जाने वाले प्रयास समावेशी वैकल्पिक मॉडल के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इनकी उपयोगिता भविष्य में और अधिक बढ़ने की पूर्ण संभावना है। वर्तमान समाज में दिव्यांगजनों के प्रति व्याप्त भेदभाव, पक्षपात और पूर्वाग्रह की स्थिति दिव्यांगजनों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर रही है। इससे उनके अंदर तनाव, दवंद और विकार जैसी अनेक मनोसामाजिक विकृतियाँ जन्म ले रही हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि जब दिव्यांगजनों को सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोध कराया जाता है, तब वे नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए रचनात्मक सामाजिक भागीदारी की ओर अग्रसर होते हैं।

दिव्यांगजनों की सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भविष्य में दिव्यांगता और समाज की अवधारणा का मनोसामाजिक संदर्भों में गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। ताकि इसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। आगामी शोध में दिव्यांग महिलाओं के साथ कार्यस्थल, परिवार और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले

पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार के संदर्भ में अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है। इससे दिव्यांग महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु ठोस मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। भविष्य के अनुसंधानों में दिव्यांगता पर आधारित निर्देशन एवं परामर्शन सेवाओं को उनके कल्याण के लिए कार्य करने वाले संगठनों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयोगात्मक रूप से लागू कर उसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दिव्यांगजनों का उनकी प्रतिभा और दक्षता के कारण समाज में उनका महत्व बना रहेगा। इसके अतिरिक्त एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने से इनकी सामाजिक भागीदारी विकसित भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भी उपयोगी सिद्ध होगी।

IX. सन्दर्भ सूची:

- [1] आहूजा, आर. (2024). *सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान*, जयपुर:रावत प्रकाशन।
- [2] गुप्ता, एम.एल.एवं शर्मा, डी.डी. (2020). *भारतीय सामाजिक समस्याएं*, आगरा: साहित्य भवन प्रकाशन।
- [3] जिला नीमच (2026). *मुख्य पृष्ठ, जिले के बारे में*, Retrieved 21/03/2026 from <https://neemuch.nic.in/>
- [4] जोशी, किशोर (20 अप्रैल, 2017) *भारत में दृष्टिहीनता की नई परिभाषा, अब कम होगी दृष्टिहीनों की संख्या*, दैनिक जागरण, नई दिल्ली, Retrieved 28/03/2026 from <https://www.jagran.com/news/national-new-definition-of-blindness-will-bring-down-number-of-blind-in-the-country-15887794.html>
- [5] ठाकुर, यतिन्द्र. (2017) *समावेशी शिक्षा*, आगरा:अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
- [6] धाकड़, योगेश एवं यादव, अनुपमा (2024). *स्टेट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटी इन मध्य प्रदेश इण्डिया: एन एनालीसिस*, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमनीटीज एण्ड सोशल स्टडी, 6(2), Retrieved 28/03/2026 from <https://doi.org/10.33545/26648652.2024.v6.i2a.108>
- [7] नई विद्या (2023). *नीमच जिले के स्थापना दिवस पर विशेष लेख : नीमच जिला पुरातत्व, इतिहास, संस्कृति, पर्यटन*, Retrieved 21/03/2026 from <https://naividha.com/4726>

Conflict of Interest Statement: *The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.*

Generative AI Statement: *The author(s) confirm that no Generative AI tools were used in the preparation or writing of this article.*

Publishers Note: *All statements made in this article are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of their affiliated institutions, the publisher, editors, or reviewers. Any products mentioned or claims made by manufacturers are not guaranteed or endorsed by the publisher.*

Copyright © 2026 **Sapna Bairagi, Dr. Rameshwar Raikwar.** *This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author and the copyright owner are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.*

This is an open access article under the CC-BY license. Know more on licensing on <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Cite this Article

Sapna Bairagi, Dr. Rameshwar Raikwar. Sociological study of the challenges faced by persons with disabilities in the context of Neemuch district.. International Research Journal of Engineering & Applied Sciences (IRJEAS). 14(2), pp. 1-9, 2026. <https://doi.org/10.55083/irjeas.2026.v14i02001>